संदर्भ सं.:- **दिनांकः 08-04-2022**

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

<u>प्रेस नोट</u>

7 अप्रैल 2022

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और बीमा उद्योग के बीच परस्पर सक्रिय (इंटरएक्टिव) सत्रों का आयोजन 6-7 अप्रैल 2022 के दौरान मुंबई में किया गया।

श्री देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष, आईआरडीएआई ने उक्त सत्रों की अध्यक्षता की जिनमें सभी जीवन, साधारण, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के सीईओ और अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

दो सत्र बीमा उद्योग की लाभप्रद वृद्धि को समर्थन देने, विनियामक ढाँचे को युक्तिसंगत बनाने, तथा अनुपालन के भार को कम करने के लिए अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि में लिये जाने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करने के उद्देश्य से आयोजित किये गये। यह प्रत्याशित है कि इससे बीमा व्यापन में घातीय संवृद्धि के लिए इस प्रकार मार्ग प्रशस्त होगा कि जब भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनायेगा, तब प्रत्येक भारतीय के पास उपयुक्त जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा रक्षा (कवर) हो और प्रत्येक उद्यम को उपयुक्त बीमा समाधानों के द्वारा समर्थन मिले।

इस उद्देश्य की दिशा में, समीक्षा के लिए वर्तमान विधिक/ विनियामक संरचना में निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई हैः

- ✓ देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाने के लिए वैश्विक निवेशकों तक विशेष लोकसंपर्क (आउटरीच) के साथ भारत में बीमा बाजार में प्रवेश करने के लिए नई संस्थाओं को समर्थ बनाने हेतु रूपरेखा का निर्माण करना
- ✓ बीमा के क्षेत्र में आबद्ध (कैप्टिव) बीमाकर्ताओं, एकल (स्टैंडअलोन) सूक्ष्म बीमाकर्ताओं, उत्कृष्ट विशेषीकृत खिलाड़ियों, क्षेत्रीय संस्थाओं के प्रवेश को सुसाध्य बनाना
- ✓ बीमा मध्यवर्तियों के लिए पंजीकरण का नवीकरण समाप्त करना
- ✓ प्रत्येक द्वार पर बीमा लाने के उद्देश्य के साथ वितरण के विस्तार को बढ़ाने के लिए बैंकमित्र की पद्धति में बीमामित्र प्रारंभ करने की संभावना का पता लगाना
- ✓ बीमा उत्पादों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ, वितरण के नये माध्यम प्रारंभ करना और वर्तमान वितरण माध्यमों के दायरे को विस्तृत करना
- ✓ बीमा कवरेज में अंतरालों को पहचानने के लिए डेटा विश्लेषण-विज्ञान की सुविधा का उपयोग करना और बीमा कंपनियों द्वारा बीमा सेवाओं के वितरण में कौशल को सुधारने के लिए बाजार की आवश्यकताओं का आकलन करना तथा उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना
- ✓ बीमाकर्ताओं के बीमा एजेंटों और क्षेत्र बल की तकनीकी क्षमताएँ बढ़ाने में सहायता करना
- ✓ बीमा पर्यवेक्षण को परिणाम आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रूप में अग्रसर करना जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सुयोजित हो

- ✓ विनियामक ढाँचे को युक्तिसंगत बनाने के द्वारा विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन का भार कम करना
- ✓ बीमाकर्ताओं द्वारा उत्पाद प्रमाणीकरण की दिशा में अग्रसर होना जिसमें उत्पादों का अभिकल्पन करते समय आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित व्यापक सिद्धांतों का पालन बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।
- ✓ बीमाकर्ताओं के लिए लागू निवेश मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना
- ✓ पालिसीधारक के लिए लागतें कम करने के उद्देश्य के साथ परिचालन लागतों के न्यूनीकरण और बीमा उत्पादों के कमीशन/ पारिश्रमिक की संरचना की समीक्षा को सुसाध्य बनाना
- ✓ परिभाषित टीएटी के साथ अन्य विनियामक अनुमोदनों में गति लाना
- ✓ बीमाकर्ताओं द्वारा संबद्ध और मूल्यवर्धित सेवाओं की अनुमति देना
- ✓ ग्राहकों की व्यथा के विषयों को समझने, मूल कारणों का विश्लेषण करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने पर बल देते हुए वर्तमान पालिसीधारक शिकायत निवारण प्रणालियों को संशोधित करना
- ✓ वर्तमान बीमा लोकपाल प्रणाली की प्रभावात्मकता की समीक्षा करना
- ✓ आवश्यकताओं, संतोष के स्तरों को मापने, और समस्या के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ग्राहक सर्वेक्षणों सहित बीमा जागरूकता अभियान चलाना
- ✓ बीमा जागरूकता की दिशा में प्रभावी ढंग से सामाजिक माध्यम / मल्टीमीडिया का उन्नयन करना
- ✓ बीमा व्यापन और पालिसीधारक कल्याण की दिशा में की गई प्रगति के संबंध में चर्चा करने के लिए दो महीने में एक बार बीमा उद्योग के साथ बीमा विनियमनकर्ता द्वारा परस्पर सक्रिय विचार-विमर्श करना
- ✓ बीमा व्यापन को बढ़ाने हेतु सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रत्येक महीने में 15वीं तारीख को आईआरडीएआई के प्रधान कार्यालय में खुली सभा का आयोजन करना